

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश


क्रमांक / IDSP / 2020 / 512

भोपाल, दिनांक 21.04.2020

आदेश

संचालनालय के आदेश क्रं. / IDSP / 2020 / 437 दिनांक 15.04.2020 द्वारा संचालनालय / एन.एच.एम. / आई.ई.सी.ब्यूरो / आयुष्मान भारत, भोपाल / मेडिकल कार्पोरेशन, म.प्र. के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को कोविड-19 जांच कराया जाना अनिवार्य किया गया था, तथा जांच रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होने पर ही कार्यालय आने के लिये निर्देशित किया गया था। इसी संबंध में पूर्व में दिनांक 13.04.2020 को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, "वात्सल्य भवन" अरेरा हिल्स पर कोविड-19 की जांच हेतु Sample Collection का कार्य किया गया था।

जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने दिनांक 21.04.20 तक कोविड-19 की जांच नहीं करायी है, उन्हें पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 22.04.2020 को प्रातः 11:00 बजे सतपुड़ा भवन में अपनी जांच अनिवार्य रूप से करावें। इस संबंध में प्रथम बार में जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और उन्हें टेस्ट कराये हुये 14 दिन या अधिक हो गये हैं उन्हें भी पुनः यह जांच कराना अनिवार्य है। अतः दिनांक 22.04.2020 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यालयीन समय तक Sample Collection Team सतपुड़ा भवन में उपस्थित रहेगी। अतः अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच कराना सुनिश्चित करें।


21/4/2020

अपर संचालक


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / अ.संचा. / नि.सहा. / 2020 / 512

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:- सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
5. संचालक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें
6. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें किसी भी माध्यम से प्राप्त आदेश की तामिली मानी जावेगी।



अपर संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें